 5

I/341965/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांकः** 28 **जून, 2023**

विषयः पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम सचिवालय/ पंचायत भवन नियमित रूप से खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:-42/2021/1235/33-3-2021-989/ 2021 दिनांक 25 जुलाई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यालय के रूप में ग्राम सचिवालय की स्थापना की गयी है। उक्त ग्राम सचिवालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर. की नियुक्ति की गई है। पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा प्रतिदिन ग्राम सचिवालय का संचालन किया जा रहा है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या 19 में यह उल्लिखित है कि "पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्राम सचिवालय व पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने एवं संचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।" शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय ग्राम प्रधान/उनके सगे सम्बन्धियों द्वारा उक्त का पालन करने से पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को रोका जा रहा है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम सचिवालय/पंचायत भवन की चाभी ग्राम ऑपरेटर के पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पास रहेगी एवं पंचायत सहायक ही ग्राम सचिवालय/पंचायत भवन को नियमित रूप से खोलने एवं संचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे एवं शासनादेश संख्या-366/33-3-2023-989/ 2021 दिनांक 20 फरवरी, 2023 में उल्लिखित कार्यों को सम्पादित करेंगे।

4- इसके उपरान्त भी यदि उक्त का पालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के विरूद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में निहित सुसंगत धाराओं/नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: 28-06-2023 15:03:00
Reason: Approved

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1183

DD (...)
05/7/23

DD(P)
6-7-23

Amit Sri 23

5

12.2023

2023

संख्या व दिनांकः- तदैव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उ0प्र0।
7. समस्त ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान, उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

Amit Sri 23